अनुसूचित जातियों में संवैधानिक प्रावधानों के प्रति बढ़ती जागरूकता

लियाक़त अली
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग
मुमताज पी0जी0 कॉलेज, डालीगंज, लखनऊ, उ0प0, भारत ।
E-mail: drliyaqatalikhan74@gmail.com

सारांश

उत्तर भारत के हिन्दी भाषी राज्यों में अनुसूचित जातियों सहित अन्य वंचित समुदायों में चेतना का स्तर जिस प्रकार नये आयाम स्थापित कर रहा है, उससे यह कहना अतिवादिता नहीं होगी कि अब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनने की ओर अग्रसर है। वहीं दूसरी ओर गैर लोकतांत्रिक एवं धार्मिक गतिविधियां सदियों से वंचित समाज को पुनः मनुवादी व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। वंचित समाज के युवाओं की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता एवं सक्रियता जहां एक ओर परम्परागत राजनेताओं के चिंता का करण बना है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास के नैतिक पक्ष को बल मिल रहा है।

मुख्य शब्दः *वंचना, जातिगत चेतना, सामाजिक दूरी, मानवाधिकार।*

प्रस्तावना

भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न शब्दावलियों से सम्बोधन किया जाता रहा है, जिनमें से दलित शब्द अधिक प्रयुक्त हुआ। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के उद्भव के पूर्व दलित शब्द अधिक प्रचलित नहीं था, जैसा कि पिछले तीन दशकों से हुआ है (कुमार 2018, 93)। अनुसूचित जातियों के लिए भारतीय पारम्परिक हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में व्यवसायिक प्रकृति के आधार पर अस्पृश्य माना जाता था, उन्हें शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार, धार्मिक कर्मकाण्ड से वंचित किया जाता था। किन्तु संवैधानिक प्रवधानों ने कालान्तर में सभी के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वाधीनता और सामाजिक जीवन के मौलिक अधिकारों से वंचित करने एवं शोषणकारी नीतियों का दमन किया है।

संवैधानिक अधिकारों, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास तथा राजनीतिक जागरूकता से भारतीय समाज में जातीय संस्तरण का राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है। फलस्वरूप 1980 के दशक के बाद जाति व क्षेत्र आधारित राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव हुआ है। सवंधिान के 73वें संशोधन से हुए बदलाव के बाद ग्रामीण राजनीति एवं शक्ति संरचना में बदलाव आया है। वहीं 74वें संशोधन से जातिगत प्रतिनिधित्व प्रदान करने से समाज में जातीय संघर्ष एवं सामाजिक दूरियां अब नगरीय समाज में बढ़ रही हैं। लेकिन समता मूलक समाज की स्थापना होना अभी शेष है।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक प्रावधानों की मौजूदगी में अनुसूचित जाति में चेतना एवं विकास के प्रति जागरूकता पर विश्लेषण करना है।

उपकल्पना

अध्ययन को अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए शोध उपकल्पना का निर्माण अनुसंधान के परीक्षण के लिए आवश्यक है। गुडे एण्ड हॉट् (1952, 56) ने बहुत ही सरल शब्दों में उपकल्पना को परिभाषित किया है। उनके अनुसार ''उपकल्पना वह पूर्वानुमान है जिसकी वैधता की पुष्टि होनी बांकी है। यह कामन सेन्स के अनुसार हो सकती है अथवा उससे भिन्न। यह सही सिद्ध हो सकती है अथवा गलत।'' प्रस्तुत शोध में निम्न उपकल्पनाओं को पुष्ट करने का प्रयास किया गया है।

1.अनुसूचित जाति के युवाओं में संविधान एवं संवैधानिक प्रावधानों पर जागरूकता बढ़ी है।

2.अनुसूचित जाति के युवाओं में शिक्षा एवं रोजगार के प्रति बदलाव आया है।

अध्ययन विधि

अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करने, शोध के विषय, प्रकृति एवं प्रकार को दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है, जो कि निष्पक्ष निरीक्षण (अवलोकन), सत्यापन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण पर आधारित है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक शोध प्रारूप प्रयुक्त किया गया है। गुडे एवं हॉट् (1952, 65) ने सामाजिक शोधकर्ताओं को छः सुझाव दिये है, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

1. सर्वप्रथम सम्बन्धित विषय पर साहित्यिक अवलोकन अथवा अध्ययन करें,

2. अध्ययन की समस्या का विश्लेषण अपने सहकर्मियों, शिक्षकों अथवा विषय के उन जानकार लोगों के साथ करें जिन्होंने पहले उस समस्या का हल निकाला हो,

3. विषय से सम्बन्धित अप्रकाशित अथवा प्रस्तावित शोधों तक पहुचने का प्रयास करें,

4. विषय पर अवधारणात्मक पुष्टि करें

5. सावधानीपूर्वक संक्षिप्त व्याख्या में उपकल्पनाओं का निर्माण करें जिनका सामाजिक सिद्धान्तों से ताल्लुक हो, एवं

6. अध्ययन में शामिल लोगों से सीधा सम्पर्क करें जिससे प्रघटनाओं को स्पष्ट किया जा सके।

किसी भी अध्ययन की प्रमाणिकता और वैज्ञानिक पुष्टि हेतु शोध अभिकल्प का सुनिश्चित होना अति आवश्यक होता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने शोध अभिकल्प की प्रासंगिकता एवं महत्ता पर व्याख्या की है। वर्तमान अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण है।

निदर्श

अध्ययन की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए लखनऊ नगर के दो वार्ड को आरम्भिक निदर्श के रूप में चुना गया। इन वार्डों के अनुसूचित जाति के परिवारों को अलग कर लिया

गया और अनुसूचित जाति के परिवार को आधार मानकर 300 अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं को लाटरी विधि (दैव निदर्शन) से चयन कर अध्ययन हेतु चुना गया है। (**तालिका–1**)। इस अध्ययन के लिए लखनऊ जनपद के नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले युवाओं (19–34 आयु वर्ग) के युवाओं को चुना गया।

तालिका–1: निदर्शन का आयु के आधार पर वितरण

उत्तरदाताओं की आयु	**संख्या**	**प्रतिशत**
19–24	96	32.00
25–29	92	30.67
30–34	112	37.33
कुल	**300**	**100**

स्रोतः क्षेत्रीय अध्ययन.

अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थितिः संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं दायित्वों का बोध कराता है। बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं अन्य संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व, न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों पर आधारित भारतीय गणराज्य की संकल्पना की थी। भारतीय संविधान समानता (*Equality*) एवं समतामूलक (*Equity*) समाज की बात करता है जिससे कि पूर्व में जिन सामाजिक वर्गों को प्राकृतिक आधार पर मिलने वाले मानव अधिकारों से जानबूझकर वंचित रखा गया उन्हें संरक्षित कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु राज्य ऐसे प्रावधान बनाये जिससे किसी भी वर्ग (विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ों एवं महिलाओं) के आगे बढ़ने, शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद मिल सके (सिंह, 2011)। समाज में समता एवं समानता स्थापित करने वाले कुछ प्रावधानों/कानूनों का विवरण निम्न है।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का उन्मूलन तथा अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर की समानता; अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी एवं मानव व्यापार का निषेध तथा अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की समुन्नति का प्रावधान।

3. राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजातियों हेतु सुरक्षित क्षेत्र।

4. पंचायत व्यवस्था (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996।

5. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976।

6.नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।

7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989।
8. हाथ से मैला साफ करने वालों के रोजगार एवं सूखे शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन किया द्वारा वंचित वर्गों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ों एवं महिला वर्ग) को पंचायतों में आरक्षण प्रदान कर स्थानीय स्तर पर नेतृत्व क्षमता विकसित करने एवं सामाजिक विकास से जोड़ने का कार्य किया (सिंह, 2011)।

उत्तरदाताओं की जातीय संरचना

अध्ययन क्षेत्र के जिन युवाओं को अध्ययन में शामिल किया गया है उनमें से अधिकांश के परिवार गांवों से रोजगार के लिए कई दशक पूर्व शहर में आकर बस गये थे। यद्यपि जातिगत छुआछूत अब प्रकट नहीं है, लेकिन आज भी समाज में संस्तरण देखा जा सकता है। आज जाति में आर्थिक वर्गों का विकास हो गया है। लोग अब भी जाति/उपजाति में ही वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं।

अनुसूचित जाति के युवाओं का शैक्षिक लगाव

हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मूलभूत जरूरतों से वंचित है, यहां तक कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि से भी। यद्यपि भारतीय संविधान उसे निषेध करता है लेकिन हमारी सरकारें शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में व्यस्त रखती हैं तथा शिक्षक–छात्र अनुपात के मानकों पूरा नही करती हैं। जिससे यह वंचित समाज प्रौद्योगिकी के सम्पर्क में आकर नये उपकरणों से जुड़ चुका है लेकिन वैज्ञानिक विचारधारा विकसित होने से दूर हो रहा है। अध्ययन में शामिल लोगों से जब यह पूछा गया कि उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? तो अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपनी शैक्षिक योग्यता में तकनीकी डिग्री का अभाव दर्शाया।

राजनीतिक संस्कृतिकरण एवं जागरूकता

आज हम इस बात को नजरंदाज नहीं कर सकते कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का राजनीतिक संस्कृतीकरण हुआ है। उन्होने अपनी सामाजिक एकता, नेतृत्व क्षमता, सूझबूझ और ज्ञान के सदुप्रयोग में सशक्तिकरण के लिए डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बोये गये बीजों का उपयोग कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम जी के सपनों को बहन कुमारी मायावती जी फलित कर कामयाबी की सीढ़ियों पर कदम बढ़ा रही हैं। आज युवा अपनी आवाज उठाने लगा है। जिसका परिणाम है कि 63 प्रतिशत युवा अब मानने लगे हैं कि भारत मूलनिवासियों का देश है, उन्हें जाति, धर्म के नाम पर गुमराह किया जाना गलत है। लगभग 71 प्रतिशत युवा इस बात से सहमत हैं कि जातियां समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा अपने फायदे के लिए बनायी गयी हैं, तथा आज युवाओं को गुमराह करने की राजनीति हो रही है। आधिकांश युवा मानते हैं कि भारत में हो रही जातिगत हिंसा की घटनायें राजनीतिक से प्रेरित है, जिसका मकसद वंचित वर्ग को सत्ता एवं शक्ति संरचना के केन्द्र से दूर रखना है। अध्ययन क्षेत्र के 97.33 प्रतिशत युवाओं का मानना है कि भारत में संविधान का राज चलना चाहिए, ना कि मनुवादी विचारधारा पर आधारित दमनकारी समाज। आज सभी युवा मानते हैं कि मताधिकार हमारा हक है, यही

कारण है कि छल–बल से सत्ता हासिल करने वाले नेताओं के हाथ–पांव फूलने लगे हैं, उन्हें युवाओं की मांगों को नजरंदाज करके सत्ता में बने रहना अब आसान नहीं है।

तालिका–2: युवाओं में राजनीतिक जागरूकता

उत्तरदाताओं का राजनीतिक दृष्टिकोण	**संख्या**	**प्रतिशत**
भारत मूलनिवासियों का देश है	189	63.00
भारत में जाति, धर्म के नाम पर गुमराह किया जाना गलत है	212	70.67
जातियां समाज के एक वर्गविशेष द्वारा अपने फायदे के लिए बनायी गयी हैं	212	70.67
जातिगत हिंसा राजनीतिक है	258	86.00
भारत में संविधान का राज चलना चाहिए	292	97.33
मताधिकार हमारा हक है	300	100
कुल (N)	**300**	**100**

स्रोतः क्षेत्रीय अध्ययन.

निष्कर्ष

आज का भारत युवाशक्ति की ओर बढ़ रहा है, उसके हर हिस्से को सामाजिक न्याय, समरसता, बन्धुत्व एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारयुक्त समाज में विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। युवाओं में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता एवं सक्रियता जहां एक ओर परम्परागत राजनीतिक व्यक्तियों के लिए चिंता का विषय है, वहीं दूसरी ओर समाज में व्याप्त विषमता का खण्डन, सामाजिक गतिशीलता एवं मानवीय नागर समाज के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला है। भार ऐसे दौर से गुजर रहा है, जिसमें नागरिकों को प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा मिला, जिसका असर संवैधानिक जागरूकता बढ़ाने के साथ पारम्परिक वंचना से निर्मित सामाजिक दूरियों से दुराव हो रहा है।

सन्दर्भ

1. अग्रवाल, गिरीश एवं गोन्साल्विस, कॉलिन्स (2010) दलित और कानून, नई दिल्ली, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क।
2. कुमार, अनिल (2018) *समकालीन भारत में दलित चेतना, शोध मंथन*, वैल्यूम– 09, अंक–2।
3. बसु, दुर्गादास, (1999) *भारत का संविधानः एक परिचय*, नागपुर, वाधवा एण्ड कम्पनी।
4. सिंह, रनवीर कुमार (2011) *दलितों के सामाजिक उन्नयन में बहुजन समाज पार्टी का योगदान एवं सम्भावनायें : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण* (जनपद बिजनौर के सन्दर्भ में), शोध प्रबन्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. Goode, WJ & Hatt, PK: 1952; *Methods in Social Research;* New Delhi & London, McGRAW HILL KOGAKUSHA, LTD. P-92.